रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240403
CG-DL-E-18112022-240403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—अनुभाग 3क
PART II—Section 3A

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944	[खण्ड. XLV
No. 2]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944	[Vol. XLV

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

राजभाषा खण्ड

नई दिल्ली,16 नवम्बर, 2022

दि लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड (रिपील) रेगुलेशन, 2022 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

OFFICIAL LANGUAGES WING

New Delhi, the 16th November, 2022

The translation in Hindi of the Lakshadweep Building Development Board (Repeal) Regulation, 2022 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause *(b)* of sub-section *(1)* of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

गृह मंत्रालय

लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (निरसन) विनियम, 2022

(2022 का विनियम संख्यांक 3)

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित ।

लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड विनियम, 1997 का निरसन करने के लिए विनियम

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके द्वारा बनाए गए निम्नलिखित विनियम को प्रख्यापित करती हैं: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (निरसन) विनियम, 2022 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. विनियम का निरसन और व्यावृत्तियां—(1) लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड विनियम, 1997 (1997 का 1) को निरसित किया जाता है ।

(2) विनियम का निरसन :—

(क) किसी अन्य अधिनियमिति या विनियम को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित विनियम लागू किया गया है, सम्मिलित किया गया है या निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) किसी सिद्धांत या विधि के नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या पद्धति, प्रथा या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, कार्यालय या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, यद्यपि क्रमशः उनको निरसित किसी विनियम द्वारा, में या से किसी रीति से प्रतिज्ञात किया गया हो या मान्यता दी गयी हो या व्युत्पन्न किया गया हो;

(ग) किसी अधिकारिता, कार्यालय, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक़, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज, जो अभी विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पर प्रवर्तित नहीं होगा या उनको प्रत्यावर्तित नहीं करेगा;

(घ) इस प्रकार निरसित किसी विधि या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गयी किसी बात के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा;

(ङ) इस प्रकार निरसित इस विनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा;

(च) इस प्रकार निरसित इस विनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को प्रभावित नहीं करेगा;

(छ) पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को ऐसे संस्थित,जारी या प्रवृत्त किया जा सकेगा और किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड को ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानों यह विनियम नहीं बनाया गया हो;

(ज) किसी शुल्क को प्रभावित नहीं करेगा या विनियम के प्रारंभ के पूर्व, निरसन के अधीन इस विनियम के अधीन उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत या उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत किए जाने के लिए तात्पर्यित फीस को विधि के अनुसार विधिमान्य रूप से उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत समझा जाएगा:

परंतु निरसन के अधीन इस विनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई (जिसके अंतर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, अधिसूचना, जारी अनुदेश या निदेश, प्ररूप, बनाई गई उपविधि या स्कीम, अभिप्राप्त प्रमाणपत्र, पेटेंट परमिट या अनुदत्त अनुज्ञप्ति या क्रियान्वित रजिस्ट्रीकरण भी है), को इस विनियम के तत्संबंधी उपबंध के अधीन की गयी बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उक्त विनियम के अधीन की गयी कोई बात या की गई किसी कार्रवाई से अधिक्रांत नहीं हो जाता।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्यतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या प्रभावित नहीं करेगा।

अगस्तुस केरकेट्टा,
अपर विधायी परामर्शी

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.18 16:29:55 +05'30'